

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी
पीठासीन अधिकारी :- श्री राकेश कुमार गुप्ता, RAS.

प्रकरण संख्या :- 11/2025 GCMS No. 2025/23

परिवादी :-

1. श्री गणपत राम जाट, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर (राज.)

बनाम

अभियुक्त :-

1. श्री अभिजीतसिंह तंवर पुत्र ईश्वर सिंह तंवर, खाद्यकारोबारकर्ता एवं टिम लिडर
मैसर्स- एनटैक्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड खसरा नं. 248, पुराना खसरा नं. 818 खसरा नं. 838 ठाकुर जी की आखली मकराना
निवासी- 82, मोती नगर, सीकर रोड, हरमाडा, बालाजी धर्म कांटे के पीछे हर्मादा, जयपुर।
2. श्री पवन श्रीमंत जगताप (नामिनी)
मैसर्स- एनटैक्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड खसरा नं. 248, पुराना खसरा नं. 818 खसरा नं. 838 ठाकुर जी की आखली मकराना
निवासी- सर्वे नं. 219/2फ्लॉट नं0 बी/201 स्वागत हौसिंग सोसायटी, चरहोली खुर्द,पुर्ण, महाराष्ट्र।
3. श्रीमति माया देवी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार खण्डेलवाल खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक
मैसर्स- काजल गृह उद्योग, बजरंग कॉलोनी, सैथल बाई पास चौराहा दौसा
निवासी- शिव कॉलोनी, परशुराम धर्मशाला के पास दौसा।

“ परिवाद अन्तर्गत धारा 52 व 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ”

उपस्थिति :-

:-निर्णय :-

दिनांक :- 18/12/2025

.....संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री गणपत राम जाट, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.07.2024 को समय 05.30 P.M. पर फर्म मैसर्स- एनटैक्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड खसरा नं. 248, पुराना खसरा नं. 818 खसरा नं. 838 ठाकुर जी की आखली मकराना पर पहुंचा। वहां पर श्री मोहम्मद इमरान पुत्र मंजूर अहमद मिले। श्री अभिजीतसिंह तंवर पुत्र ईश्वर सिंह तंवर को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री अभिजीतसिंह तंवर ने स्वयं को फर्म मैसर्स- एनटैक्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड खसरा नं. 248, पुराना खसरा नं. 818 खसरा नं. 838 ठाकुर जी की आखली मकराना का खाद्यकारोबारकर्ता एवं टिम लिडर होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ प्रस्तुत की। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध नमकीन (Kajal) एक प्लास्टिक कट्टे में 400-400 ग्राम के 40 सिल्ड पैक पैकेट रखे है मे अनाधिक/मिथ्याछाप का शक होने पर 400-400 ग्राम के 4 सिल्ड पैक पैकेट नमकीन (Kajal) खाद्यकारोबारकर्ता एवं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कुचामन सिटी

टिम लिडर श्री अभिजीतसिंह तंवर को सूचित करते हुये वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी की कीमत श्री अभिजीतसिंह तंवर को 220/- रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं टिम लिडर तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री अभिजीतसिंह तंवर एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता अभिजीतसिंह तंवर को उपलब्ध कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा नमकीन (Kajal) 4 सिल्ड पैक पैकेट पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ.नागौर के कोड एवं क्रमांक Q-3064 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ.नागौर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. Q-3064 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर सील बन्द चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री अभिजीतसिंह तंवर एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी अपने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील कर मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 के अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के क्रमांक 495 दिनांक 30.07.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./816/Act/2024/843 दिनांक 18.07.2024 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमकीन (Kajal) का नमूना Misbraded होना पाया गया। उक्त प्रकरण मे श्री अभिजीतसिंह तंवर ने खाद्य पदार्थ नमकीन (Kajal) Misbraded का विक्रय करके F.S.S.A. 2006 की धारा 3(1)(zf) (C) (i) Misbranded [Edible vegetable oil used in product not mention on label of sample. Contravenes Regulation of 4.(3) of Food Safety and Standards (Labeling and Display) Regulation, 2020 Chapter 2], धारा 26 (2) (ii) (v), का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 व 58 का उल्लंघन किया है के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुपामन सिटी

अन्तर्गत किये गये अपराध के लिए संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के न्यायालय में अभियोजन संस्थित करने की करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके लिये जुर्माने का प्रावधान धारा 52 व 58 के अन्तर्गत निहित है।

उक्त आवेदन पत्र के साथ खाद्य खरीद रसीद मूल, फार्म नं. 5 ए मूल, फर्द रिपोर्ट मूल, खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक अजमेर की फार्म नं. 6 की पुस्त पर मुख्य खाद्य विश्लेषक की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी की नमूना प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा प्राप्त विश्लेषक सूचना पत्र मूल, खाद्य सुरक्षा अनुज्ञा-पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति, अभियोजन संस्थित किये जाने के पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण दिनांक 13.11.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त श्री अभिजीत सिंह तंवर खाद्यकारोबारकर्ता एवं टिम लिडर एवं अन्य को नोटिस जारी किया गया। अभियुक्त के जबाब प्राप्त हुए जो शामिल मिसल किया गया है।

प्रकरण में तथ्यों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर Food Analyst Public Health Laboratory Ajmer Rajasthan के FORM- VII A रिपोर्ट नं.L.S./816/Act/2024/843 दिनांक 18.07.2024 का अवलोकन किया गया, जिसमें फूड एनालिस्ट अजमेर का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:-


Opinion- The sample of Namkeen bearing Code No. and Sr. No. Q-3064 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is Misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act-2006.

अतः खाद्यकारोबारकर्ता अभिजीत सिंह तंवर, खाद्यकारोबारकर्ता एवं टिम लिडर मैसर्स- एनटैक्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड खसरा नं. 248, पुराना खसरा नं. 818 खसरा नं. 838 टाकुर जी की आखली मकराना से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमकीन (Kajal) नमूना नं. Q-3064 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पदनामित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कोड Q-3064 वाले नमकीन (Kajal) के नमूने में जो खाद्य नमूना खाद्य सुरक्षा मानक (बिक्री पर प्रतिषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के वनियम संख्या 2.3.7.(2) का उल्लंघन करता है। F.S.S.A. 2006 की धारा 26(2)(ii)(V) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 व 58 में निर्धारित है। क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 के निर्धारित मानको एवं प्रावधानो के अनुरूप नहीं है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 व 58 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26, उपधारा 2(ii)(v) इस प्रकार है:-

धारा 26:- खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:-

(1) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का :- (v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा-52


अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य वस्तु का जो मिथ्या छाप की है, मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो तीन लाख रूपये तक की हो सकेगी दायी होगा।

धारा- 58

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो धारा 58 दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 52 व 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार नमकीन (Kajal) में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु श्री अभिजीत सिंह तंवर खाद्यकारोबारकर्ता व अन्य, दोषी व उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 व 58 के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 व 58 के तहत अभियुक्त श्री अभिजीतसिंह तंवर पुत्र ईश्वर सिंह तंवर, खाद्यकारोबारकर्ता एवं टिम लिडर मैसर्स- एनटैक्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड खसरा नं. 248, पुराना खसरा नं. 818 खसरा नं. 838 ठाकुर जी की आखली मकराना, श्री पवन श्रीमंत जगताप (नामिनी) मैसर्स- एनटैक्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड खसरा नं. 248, पुराना खसरा नं. 818 खसरा नं. 838 ठाकुर जी की आखली मकराना, श्रीमति माया देवी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार खण्डेलवाल खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स- काजल गृह उद्योग, बजरंग कॉलोनी, सैथल बाई पास चौराहा दौसा प्रत्येक पर राशि रुपये 11000/- (अक्षरे रुपये ग्यारह हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

आदेश आज दिनांक 18/12/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार गुप्ता)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी